

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै०सेवा/2018

दिनांक—29/7/2021

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पैशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार पण्डया व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि लसाडा— बांसवाडा जिनकी जन्म तिथि— 14.09.1963 ने दिनांक 01.06.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री नरेन्द्र कुमार पण्डया व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि लसाडा— बांसवाडा को राजस्थान सिविल सेवा (पैशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री नरेन्द्र कुमार पण्डया के विरुद्ध आज तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

AB
(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै०सेवा निवृत्ति/2020

दिनांक—23/7/2021

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेसित—

1. निदेशक, पैशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुमांग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुमांग को वैबसाइट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राउमावि लसाडा— बांसवाडा
7. श्री नरेन्द्र कुमार पण्डया व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि लसाडा— बांसवाडा
8. निजी एवं रक्षित प्रत्रावली

E.
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर